

पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा),

आदेश

सरकार के विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-46/आ.प्र., दिनांक 30.10.2015 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के निमित्त राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, मांग संख्या- 39, उप शीर्ष-0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विपत्र कोड- P2245808000102, विषय शीर्ष-20 03 मद में मो.- 100000.00 (एक लाख) रू का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नरूपेण उपावटित करते हुये निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संबंधित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि उपावटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2015-16 में संबंधित कोषागार से करना सुनिश्चित करेंगे।

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, मांग संख्या- 39, उप शीर्ष-0102, राज्य योजना स्कीम कोड-DIS-5332

क्रं.	पदाधिकारी का नाम	पूर्व उपावटित राशि	वर्तमान उपावटित राशि	कुल योग
1	अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज	शून्य	12000.00	12000.00
2	अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर	शून्य	16000.00	16000.00
3	अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी	शून्य	12000.00	12000.00
4	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी	शून्य	12000.00	12000.00
5	अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़	शून्य	28000.00	28000.00
6	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर	शून्य	12000.00	12000.00
7	नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना	शून्य	8000.00	8000.00
कुल योग :-		शून्य	100000.00	100000.00

1. आवंटन जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के निमित्त कार्यशालाओं/बैठकों एवं Logistic Arrangements पर व्यय हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-102/आ.प्र., दिनांक 13.02.16 के आलोक में उपावटित किया जाता है।

2. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। व्यय की गई राशि का डी.सी. विपत्र, उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं इस कार्यालय को शीघ्र भेज दिया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही:

पटना समाहरणालय, पटना ।
(आपदा प्रबंधन' शाखा),

शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आँकड़े की त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561(वि.)/02, दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.16 तक निश्चित रूप से कर दें, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर व्यय खाते में नहीं रखी जाय।

६० —

जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक- IV/10/16 - 200 / आ.प्र., दिनांक 15/03/16

- प्रतिलिपि :- संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर/मसौड़ी/पटना सिटी/बाढ़/मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।
- प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक- 46/आ.प्र., दिनांक 30.10.15 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

he
15/3
जिला पदाधिकारी,
पटना।